मुख्यालय
छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

सर्वसंबंधितों को सूचना

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय नेशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए.क्रमांक 1038/2018 में दिनांक 10/07/2019 एवं 23/08/2019 को देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों/कलस्टर बाबत् आदेश पारित किया गया है। माननीय नेशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेशानुसार उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में से क्रिटिकली पॉल्यूटेड औद्योगिक क्षेत्रों एवं सिवियरली पॉल्यूटेड औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाना पाये जाने पर उनकी पहचान कर उन्हें बंद कराया जाना है तथा इकाई के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही आरंभ करने के साथ उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन एवं राशि की वसूली की जाना है। क्षतिपूर्ति का अंतिम रूप से आकलन होने तक अंतरिम रूप से उल्लंघनकारी लघु श्रेणी के उद्योगों से 25 लाख रूपये, मध्यम श्रेणी के उद्योगों से 50 लाख रूपये तथा वृहद श्रेणी के उद्योगों से 1.0 करोड़ रूपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में ली जावेगी। उक्त सूची में छत्तीसगढ़ राज्य के सिलतरा एवं रायपुर औद्योगिक क्षेत्र/कलस्टर क्रिटिकली पॉल्यूटेड औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणी में आते है। अतः इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह जनसूचना सभी संबंधितों को सूचित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)